



कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक/एफ () एफसीए /उवसं/2022/3731
निमित्त

दिनांक :31.05.2022

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषय:- "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena -Bharatpur.

सन्दर्भ:- वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय ईकाई जयपुर का पत्रांक File no. 8B/RAJ017/2022-JPR Dated 27.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena -Bharatpur. (FP/RJ/OFC/47243/2020) के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र से प्राप्त निम्नानुसार बिन्दुवार आक्षेप की पूर्ति कर भिजवाया जा रहा है।

| क्रं.सं. | आक्षेप | पालना रिपोर्ट |
|----------|--|---|
| 1 | Details of CA is not uploaded on PARIVESH portal. | CA Scheme uploaded |
| 2 | As per DSS Analysis, Keoladeo Ghana wildlife Sanctuary is located at distance of 1.07 km from the proposed diversion site. State govt. shall clarify this and comments of CWLW shall be Submitted, If requested. | According to DCF (wildlife), proposed diversion site is not falling within ESZ of keoladev National Park. (letter Attached) |

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

क्रमांक:एफ()सर्वे/उवसंवजी/2022/2824

दिनांक: 31-05-2022

निमित्त,

उप वन संरक्षक
भरतपुर।

विषय:— "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21(old NH11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena -Bharatpur. Proposal No. : FP/RJ/OFC/47243/2020, Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 2.8224

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक दिनांक 27.04.2022 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्रांक द्वारा लगाये गये आक्षेप संख्या ii के संबंध में इस कार्यालय के अधीन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के ईको-सेन्सिटिव जोन की परिधि में प्रस्तावित लाइन के आने अथवा न आने के संबंध में टिप्पणी चाही है।

अतः इस संबंध में लेख है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के ईको-सेन्सिटिव जोन भारत सरकार के राजपत्र द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2019 को अंतिम रूप से घोषित हो चुका है जिसका विस्तार शहर की ओर उत्तर पश्चिम दिशा में 500 मीटर तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण पश्चिम में 1500 मीटर तक ईको-सेन्सिटिव क्षेत्र घोषित है।

उक्त प्रकरण शहर की तरफ है जो कि घोषित ईको सेन्सिटिव जोन की 500 मीटर की परिधि से बाहर है। अर्थात् उक्त प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केवल लाइन ईको-सेन्सिटिव जोन में नहीं आती है। घोषित ईको सेन्सिटिव के नोटीफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक(वन्यजीव)
भरतपुर